भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 283
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वेक्षण

283. श्री मुजीबुल्ला खान :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा वर्तमान में किए जा रहे एक सर्वेक्षण के अनुसार केवल 27 प्रतिशत न्यायालयों में न्यायाधीशों के डायस पर वीडियो-कांफ्रेंसिंग सुविधा युक्त कम्प्यूटर उपलब्ध हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) ई-न्यायालयों के लिए सरकार द्वारा किए गए बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2021 तक इसके तहत वास्तविक रूप से जारी की गई और खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ई-न्यायालयों को स्थापित करने और उनका उचित तथा सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सुविधा तक पहुंच में इस अंतर को दूर करने की क्या कार्ययोजना है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने न्यायिक अवसंरचना और न्यायालय सुविधाओं की प्रास्थिति पर डाटा का संकलन किया है जिसके अनुसार 27 % न्यायालय कक्षों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा के साथ न्यायाधीश के डायस पर कम्प्यूटर है । न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए संघीय सरकार ने 1993-94 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है । आज तारीख तक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को स्कीम के अधीन केन्द्रीय सरकार ने 8758.70 रुपए स्वीकृत किए हैं । सरकार ने उपरोक्त स्कीम को 01.04.2021 से, 9000 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपए है, और पांच वर्ष की अवधि के लिए 31.03.2026 तक बढ़ा दिया है ।

(ख) : सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों के सार्वभौमिक कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्य से, न्याय विभाग भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के निकट समन्वय से ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है । परियोजना के पहले चरण में, 935 करोड़ रुपए के कुल

परिव्यय में से सरकार ने 639.41 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया है । परियोजना के दूसरे चरण में 1670 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन में लगे हुए विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को 31.12.2021 तक 1620.54 करोड़ रुपए जारी किए हैं । 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार वर्ष वार और उच्च न्यायालय वार प्रास्थिति उपाबंध पर है ।

(ग) : डिजिटल खाई को पाटने के लिए सरकार ने ई-सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए 12.54 करोड़ रुपए जारी किए हैं । 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार 25 उच्च न्यायालयों के अधीन 451 ई-सेवा केन्द्र क्रियाशील किए गए हैं । न्यायालय परिसरों में ई-फाइलिंग के लिए 1732 हेल्प डेस्क काउंटर सृजित करने के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ; मुकदमा करने वालो/अधिवक्ताओं द्वारा याचिकाएं और आवेदन फाइल करने के लिए और वाद सूचियों से संबंधित न्यायिक जानकारी तथा सूचना कायोस्क के माध्यम से अधिवक्ताओं और मुकदमा करने वालो को अन्य मामला संबंधी जानकारी के प्रसार के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करने के लिए सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं । मामलों के त्वरित निपटारे के लिए वीडियो कान्फ्रेसिंग हेतु वाई-फाई और कम्प्यूटरों से सुसज्जित मोबाइल ई-न्यायालय उत्तराखंड़ और तेलंगाना उच्च न्यायालयों में भी आरंभ किए गए हैं ।

ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, एसएमएस पुश एण्ड पुल (2,00,000 एसएमएस 2020 प्रतिदिन भेजे गए), ई-मेल (2,50,000 प्रतिदिन भेजे गए) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (35 लाख हिट्स प्रतिदिन), जेएससी (न्यायिक सेवा केन्द्र) और सूचना कायोस्क के माध्यम से अधिवक्ताओं/मुकदमा करने वालो को मामले की प्रास्थिति, वाद सूची, निर्णयों आदि पर वास्तविक समय सूचना प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफार्म सृजित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त अधिवक्ताओं के लिए मोबाइल एप में इलैक्ट्रानिक केस मैनेजमेंट टूल (ईसीएमटी) सृजित किया गया है (3 जनवरी, 2022 तक कुल 72.20 लाख डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस एप सृजित की गई है (3 जनवरी, 2022 तक कुल 16,825 डाउनलोड) ।

****

उपाबंध

भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा सर्वेक्षण के संबंध में तारीख 03.02.2022 को राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 283 के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

31.12.2021 को यथा विद्यमान वर्ष वार और उच्च न्यायालय वार निर्मुक्ति और उपयोग की प्रास्थिति

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	2015-16			2016-17			2017-18			2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			कुल		
		निर्मुक्त (क.)	उपयोग (क.)	उपयोग %	निर्मुक्त (क.)	उपयोग (क.)	उपयोग %	निर्मुक्त (क.)	उपयोग (क.)	उपयोग %	निर्मुक्त (क.)	उपयोग (क.)	उपयोग %	निर्मुक्त (क.)	उपयोग (क.)	उपयोग %	निर्मुक्त (क.)	उपयोग (क.)	उपयोग %	निर्मुक्त (क.)	उपयोग (क.)	उपयोग %	निर्मुक्त (क.)	उपयोग (क.)	उपयोग %
1	इलाहाबाद	31.14	31.14	100.00	20.88	20.46	97.99	20.57	20.27	98.58	8.07	7.92	98.18	15.04	3.42	22.71	13.79	0.53	3.85				109.48	83.74	76.49
2	आंध्र प्रदेश																1.96	0	0.00				1.96	0.00	0.00
3	मुंबई	30.39	30.39	100.00	38.25	29.49	77.09	47.22	41.83	88.58	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00		8.86	0.47	5.29				125.24	102.18	81.58
4	कलकत्ता	12.14	9.95	81.96	9.17	8.36	91.21	10.72	1.49	13.91	0.13	0.08	61.45	0.00	0.00		4.93	0	0.00				37.09	19.88	53.60
5	छत्तीसगढ़	3.82	3.82	100.00	6.03	6.03	100.00	9.34	9.34	100.00	1.33	1.33	100.00	4.44	0.06	1.38	2.34	0.35	14.83				27.31	20.93	76.65
6	दिल्ली	5.87	5.87	100.00	5.41	5.15	95.16	8.97	8.73	97.29	3.54	1.15	32.47	0.00	0.00		3	0.63	20.89				26.80	21.53	80.32
7क	गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश)	0.59	0.56	94.70	4.33	1.47	33.86	1.37	1.36	99.26	2.85	2.82	99.07	0.98	0.81	82.81	1.52	0.18	11.92				11.64	7.20	61.88
7ख	गुवाहाटी (असम)	5.19	5.19	100.00	25.47	25.11	98.56	8.13	8.00	98.44	8.70	0.50	5.70	13.68	0.00	0.00	6.11	0.45	7.34				67.28	39.24	58.33
7ग	गुवाहाटी (मिजोरम)	0.71	0.71	100.00	3.01	2.53	84.12	2.47	2.47	100.00	0.15	0.15	100.00	0.51	0.28	55.72	0.72	0	0.00				7.57	6.15	81.17
7घ	गुवाहाटी (नागालैंड)	0.77	0.77	100.00	2.31	2.31	100.00	1.83	1.83	100.00	0.71	0.71	100.00	0.70	0.00	0.00	0.83	0	0.00				7.15	5.63	78.67
8	गुजरात *	11.23	11.23	100.00	18.32	15.85	86.53	29.06	19.15	65.90	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00		3.48	0	0.00				72.82	46.23	63.49
9	हिमाचल प्रदेश	1.79	1.79	100.00	3.21	2.87	89.32	4.05	3.81	93.94	0.13	0.07	52.23	0.00	0.00		2	0.23	11.24				11.19	8.76	78.29
10	जम्मू-कश्मीर	1.84	1.84	100.00	5.29	5.03	95.17	10.59	9.89	93.33	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1	0.16	16.00				18.98	16.92	89.13
11	झारखंड़	3.20	3.20	100.00	5.09	5.09	100.00	2.92	2.92	100.00	4.53	4.53	100.00	5.53	0.00	0.00	2.98	0.48	16.00				24.25	16.21	66.86
12	कर्नाटक	11.86	11.86	100.00	17.43	17.43	100.00	22.04	20.76	94.20	0.61	0.61	100.00	9.15	6.88	75.21	4.29	0.65	15.15				65.38	58.20	89.01

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	2015-16			2016-17			2017-18			2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			कुल		
		निर्मुक्त (क.)	उपयोग (क.)	उपयोग %	निर्मुक्त (क.)	उपयोग (क.)	उपयोग %	निर्मुक्त (क.)	उपयोग (क.)	उपयोग %	निर्मुक्त (क.)	उपयोग (क.)	उपयोग %	निर्मुक्त (क.)	उपयोग (क.)	उपयोग %	निर्मुक्त (क.)	उपयोग (क.)	उपयोग %	निर्मुक्त (क.)	उपयोग (क.)	उपयोग %	निर्मुक्त (क.)	उपयोग (क.)	उपयोग %
13	केरल	5.53	5.53	100.00	8.32	8.32	100.00	14.73	12.08	81.98	4.61	3.90	84.58	0.00	0.00		2.83	0.04	1.46				36.03	29.87	82.91
14	मध्य प्रदेश	9.73	9.73	100.00	23.93	23.93	100.00	22.51	22.51	100.00	0.39	0.39	100.00	11.21	3.10	27.64	6.28	5.54	88.26				74.05	65.20	88.05
15	मद्रास	10.24	10.24	99.96	24.62	24.48	99.41	25.45	23.34	91.71	5.11	3.93	76.94	0.00	0.00		4.73	0.04	0.75				70.15	62.02	88.41
16	मणिपुर	0.53	0.53	99.75	4.24	3.65	86.20	1.19	0.49	41.11	0.65	0.63	96.78	0.61	0.25	40.52	1.3	0.08	6.03				8.52	5.62	66.01
17	मेघालय	0.19	0.19	100.00	3.26	2.74	83.99	3.65	3.33	91.32	0.62	0.61	98.93	0.92	0.00	0.00	2.32	0.34	14.58	1.28	0.00	0.00	12.22	7.21	58.95
18	ओडिशा	7.57	7.57	100.00	7.71	7.71	100.00	12.70	12.26	96.52	1.59	0.09	5.66	13.46	0.00	0.00	3.37	1.51	44.77				46.41	29.14	62.79
19	पट्ना	8.04	8.04	100.00	26.41	25.26	95.66	8.72	3.88	44.57	0.13	0.00	0.00	7.08	0.00	0.00	5.44	0	0.00				55.82	37.19	66.62
20	पंजाब और हरियाणा	11.63	11.63	100.00	17.92	17.88	99.81	11.54	11.54	99.98	8.49	8.36	98.47	0.00	0.00		4.55	0	0.00				54.13	49.41	91.29
21	राजस्थान	9.97	9.97	100.00	23.04	20.52	89.08	25.05	24.06	96.05	3.01	2.25	74.63	1.29	1.29	100.00	10.58	0.71	6.73				72.94	58.80	80.61
22	सिक्किम	0.18	0.18	99.98	1.79	1.63	90.71	1.40	0.79	56.33	0.80	0.33	41.04	1.61	0.53	33.06	1.01	0.31	30.75				6.81	3.77	55.43
23	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश **	13.90	13.90	100.00	14.31	9.80	68.53	33.95	23.78	70.03	8.13	0.13	1.56	0.00	0.00		0	0					70.29	47.61	67.73
24	तेलंगाना																1.79	0	0.00				1.79	0.00	0.00
25	त्रिपुरा	1.20	1.20	100.00	4.38	4.19	95.67	2.86	2.86	100.00	1.77	1.77	99.69	2.24	1.14	50.83	4.44	1.44	32.40				16.90	12.60	74.57
26	उत्तराखंड	2.98	2.98	100.00	2.66	1.82	68.38	4.60	0.66	14.27	0.13	0.07	52.23	0.00	0.00		1.28	0.24	18.51				11.65	5.76	49.43
	कुल	**202.23**	**200.00**	**98.90**	**326.79**	**299.11**	**91.53**	**347.65**	**293.44**	**84.41**	**77.71**	**42.32**	**54.46**	**88.44**	**17.76**	**20.08**	**107.74**	**14.35**	**13.32**	**1.28**	**0.00**	**0.00**	**1,151.84**	**866.99**	**75.27**

* गुजरात उच्च न्यायालय ने 13.12 करोड़ रुपए अभ्यर्पित किए।

** तत्कालीन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निधियां निर्मुक्त कीं।

****